

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक..९/५५०७/२०२२  
II-15-8/72 II


जबलपुर, दिनांक..०२/०९/२०२२

प्रतिलिपि :

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ओ.एस.डी. ....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (समस्त)..... महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक HOR/01/16/0002/2022/58 दिनांक 27/07/2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

  
(अभिषेक कुमार पटेल)  
डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक HOR/01/16/0002 /2022/58,

भोपाल, दिनांक 27 /07/2022.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

- विषय:- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का सही नाम संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं निगम का सही नाम मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिखे जाने बावत।
- संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-12/2015/एक (1) दिनांक 12.04.2016

---000---

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित अधिसूचना एवं कार्य आवंटन नियम की छायाप्रति संलग्न है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना एवं कार्य आवंटन नियम द्वारा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के नाम की प्रविष्टि के स्थान पर संचालनालय का नाम "संचालनालय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण किया गया था।" परन्तु अभी तक संचालनालय का पुराना नाम संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी शासकीय कार्यकलापो में लिखा जा रहा था।

3/ अनुरोध है कि अब से संचालनालय का नाम संचालनालय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के नाम से ही पत्राचार किया जावे।

4/ इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य आवंटन नियम में निगम का नाम मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम है, परन्तु निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड लिखा जा रहा था, के स्थान पर अब से निगम का नाम मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के नाम से ही पत्राचार किया जाये।

(जे.एन.कंसोटेया)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भोपाल, दिनांक 27/07/2022.

पृ. क्रमांक HOR/01/16/0002-/2022/58,

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु...

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान मंत्री/ राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/ भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर ।
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल।
16. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल।
17. उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
18. महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
20. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
21. संयुक्त संचालक, उद्यान .....समस्त संभाग मध्यप्रदेश ।
22. उप/सहायक संचालक, उद्यान जिला/प्रक्षेत्र.....समस्त मध्यप्रदेश ।
23. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।



उप/सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

High Court of Madhya Pradesh JABALPUR
16 AUG 2022
Reg No. 25027
Receipt Clerk High Court Jabalpur